गेल (इंडिया) लिमिटेड

16, भिकाजी कामा प्लेस, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

अंतरंग व्यक्तियों द्वारा व्यापार को विनियमित, निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए आचार संहिता -
<u>अंतरंग व्यापार संहिता</u>

1. प्रारंभिक

1.1 गेल (इंडिया) लिमिटेड के निदेशक मंडल ने सेबी (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 के अनुसार में दिनांक 28.04.2015 को आयोजित अपनी 335वीं बैठक में 'अंतरंग व्यक्तियों द्वारा व्यापार को विनियमित, निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए आचार संहिता' को मंज़ूरी दे दी है, जिसे इसके बाद से **अंतरंग व्यापार संहिता** कहा जाएगा।

1.2 सेबी ने दिनांक 31.12.2018 की अपनी अधिसूचना द्वारा सेबी (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2018 जिसने सेबी (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम 2015 में संशोधन किया गया था और जो 01.04.2019 से प्रभावी हो जाएगा। तदनुसार, सीएमडी-गेल ने सेबी (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 के अनुसरण में अंतरंग व्यापार संहिता में संशोधन को मंज़ूरी दे दी है और यह 01.04.2019 से प्रभावी हो जाएगा।

2. अंतरंग व्यापार संहिता का उद्देश्य

अंतरंग व्यापार संहिता का उद्देश्य **विनिर्दिष्ट व्यक्तियों और उनके निकट संबंधियों** द्वारा निगरानी, समय पर रिपोर्टिंग और मूल्य संवेदनशील जानकारी का पर्याप्त प्रकटीकरण सुनिश्चित करना है।

इसके अलावा, इसका उद्देश्य प्रतिभूतियों में अंतरंग व्यापार प्रतिषेध के लिए एक रूपरेखा तैयार करना और उसके कानूनी ढांचे को सुदृढ़ करना है।

3. परिभाषाएं

क. **"अधिनियम"** का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992

ख. **"बोर्ड"** का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड।

ग. **"कंपनी"** का अर्थ है गेल (इंडिया) लिमिटेड।

घ. संहिता के उद्देश्य के लिए **"अनुपालन अधिकारी",** कंपनी का कंपनी सचिव अनुपालन अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। कंपनी सचिव की अनुपस्थिति में, निदेशक मंडल / अध्यक्ष कंपनी के किसी भी वरिष्ठ अधिकारी को अनुपालन अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अधिकृत कर सकता है।

ड. **"संबद्ध व्यक्ति"** का अर्थ है

(i) विनिर्दिष्ट व्यक्ति
(ii) कोई भी व्यक्ति जो संबंधित अधिनियम से पहले *छह महीने के दौरान* कंपनी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी पद पर रहते हुए जुड़ा रहा है, जिसमें उसका अधिकारियों या किसी भी संविदात्मक, प्रत्ययी या रोजगार संबंध या निदेशक, अधिकारी या कंपनी के किसी कर्मचारी के साथ सतत् संवाद या अपने और कंपनी के बीच व्यावसायिक या व्यावसायिक संबंध सहित कोई भी पद धारण करता है, चाहे वह अस्थायी हो या स्थायी, जो ऐसे व्यक्ति को प्रत्यक्ष

या अप्रत्यक्ष रूप से अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी तक पहुँच या यथोचित रूप से ऐसी पहुंच की अनुमति देता है।

(iii) पूर्वगामी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित श्रेणियों के भीतर आने वाले व्यक्तियों को तब तक जुड़ा हुआ व्यक्ति माना जाएगा जब तक कि इसके विपरीत स्थापित न हो जाए, -

(क) खंड (ii) में विनिर्दिष्ट संबद्ध व्यक्तियों का निकट रिश्तेदार; या
(ख) एक धारित कंपनी या संबद्ध कंपनी या सहायक कंपनी; या
(ग) अधिनियम की धारा 12 में विनिर्दिष्ट अनुसार मध्यस्थ या कोई कर्मचारी या उसका निदेशक; या
(घ) एक निवेश कंपनी, ट्रस्टी कंपनी, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी या कोई कर्मचारी या निदेशक; या
(ड.) स्टॉक एक्सचेंज या क्लियरिंग हाउस या कॉर्पोरेशन का कोई अधिकारी; या
(च) म्यूचुअल फंड के न्यासी बोर्ड का सदस्य या म्यूचुअल फंड की परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी के निदेशक मंडल का सदस्य या उसका कोई कर्मचारी; या
(छ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(72) में परिभाषित अनुसार लोक वित्तीय संस्थान का निदेशक मंडल का सदस्य या उसका कर्मचारी; या
(ज) बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त या अधिकृत कोई अधिकारी या स्व-विनियामक संगठन का कोई कर्मचारी; या
(i) कंपनी का कोई बैंकर; या
(j) कोई कंपनी, फर्म, ट्रस्ट, हिंदू अविभाजित परिवार, कंपनी या व्यक्तियों का संघ जिसमें किसी कंपनी के निदेशक या उसके निकट रिश्तेदार या कंपनी के बैंकर के पास होल्डिंग या ब्याज के दस प्रतिशत से अधिक है।

च. **"विनिर्दिष्ट कर्मचारी"** में निम्नलिखित शामिल होंगे:

1. अधिकारियों के शीर्ष तीन स्तर अर्थात् निदेशक, कार्यकारी निदेशक और मुख्य महाप्रबंधक और उनके सचिवालय में कार्यरत व्यक्ति
2. कॉर्पोरेट कार्यालय में तैनात सभी कर्मचारी
3. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
4. गेल के कार्यात्मक निदेशकों के कार्यालय में सभी कर्मचारी
5. आंतरिक लेखा परीक्षा और मूल्य निर्धारण विभाग के सभी कर्मचारी
6. कंपनी का अन्य कोई कर्मचारी जिसे अनुपालन अधिकारी द्वारा समय-समय पर सीएमडी की मंज़ूरी से अधिसूचित किया जा सकता है।

यदि कोई भी विनिर्दिष्ट कर्मचारी कंपनी की सेवाओं को छोड़ देता है, तो उसे सेबी (अंतरंग व्यापार प्रतिषेध) विनियम, 2015 के अंतर्गत परिकल्पित अनुसार कंपनी छोड़ने की तारीख के बाद छह महीने की आगामी अवधि के लिए विनिर्दिष्ट कर्मचारी के रूप में माना जाता रहेगा।

छ. "विनिर्दिष्ट व्यक्ति" में निम्नलिखित शामिल हैं

1. प्रमोटर
2. विनिर्दिष्ट कर्मचारी,
3. सहायक कंपनियों के सीईओ और सीएफओ जिसमें उनके सचिवालय के सभी कर्मचारी शामिल हैं
4. सामग्री सहायक कंपनियों के लिए, उनके सचिवालय के सभी कर्मचारियों सहित मुख्य कार्यकारी अधिकारी से नीचे के दो स्तर तक के कर्मचारी।
5. कंपनी के सहायक कर्मचारी, मध्यस्थ या प्रत्ययी जैसे बीआईएस या सचिवीय कर्मचारी जिनकी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी तक पहुंच है
6. उपर्युक्त व्यक्तियों के निकट रिश्तेदार

ज. **"निदेशकों"** का अर्थ गेल के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक और सरकारी विनिर्दिष्ट निदेशक से हैं।

झ. "आम तौर पर उपलब्ध जानकारी"

ऐसी जानकारी जो बिना किसी भेदभाव के जनता को उपलब्ध हो। स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर प्रकाशित जानकारी, आमतौर पर उपलब्ध जानकारी मानी जाएगी।

ञ. "निकट रिश्तेदार" का अर्थ है

किसी व्यक्ति का जीवनसाथी, और इसमें ऐसे व्यक्ति या जीवनसाथी के माता-पिता, भाई-बहन और बच्चे शामिल हैं, जिनमें से कोई भी या तो ऐसे व्यक्ति पर आर्थिक रूप से निर्भर है, या ऐसे व्यक्ति से प्रतिभूतियों में व्यापार करने से संबंधित निर्णय लेने के लिए परामर्श करता है।

ट. "अंतरंग व्यक्ति" ऐसा कोई व्यक्ति है जो -

i) संबद्ध व्यक्ति हो; या

ii) अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना रखता है या उसकी ऐसी सूचना तक पहुंच है।

ठ. "अंतरंग व्यापार" का अर्थ है।

i. किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों या किसी कंपनी के किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रधान या एजेंट के रूप में किसी भी प्रतिभूति में सदस्यता लेने, खरीदने, बेचने, सौदा करने या सदस्यता लेने, खरीदने, बेचने के लिए सहमति देना, यदि ऐसा निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी या कंपनी के किसी अन्य अधिकारी को कंपनी की प्रतिभूतियों के संबंध में किसी भी गैर-सार्वजनिक मूल्य संवेदनशील सूचना तक पहुंच की संभावना हो; या

ii. किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी गैर-सार्वजनिक मूल्य-संवेदनशील जानकारी की खरीद या संचार के बारे में परामर्श देना;

ड. "मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक" का अर्थ है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(51) परिभाषित मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) अर्थात्:

(i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक या प्रबंधक;

(ii) कंपनी सचिव;

(iii) पूर्णकालिक निदेशक;

(iv) मुख्य वित्तीय अधिकारी;

(i) ऐसे अन्य अधिकारी, जो निदेशक से नीचे एक स्तर से अधिक न हों, तथा पूर्णकालिक रोजगार में हों, को बोर्ड द्वारा प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो; तथा

(ii) ऐसे अन्य अधिकारी जो विनिर्दिष्ट किए जाएं।

ढ. "वैध प्रयोजन" में व्यवसाय के सामान्य रूप में भागीदारों, सहयोगियों, ऋणदाताओं, ग्राहको, आपूर्तिकर्ता, व्यापारी बैंकर, कानूनी सलाहकार, लेखा परीक्षक, दिवालिया पेशेवर या अन्य सलाहकार या परामर्शदाता सहित अंतरंग व्यक्ति द्वारा यूपीएसआई को साझा करना शामिल होगा जैसे कर्तव्यों का निष्पादन, कानूनी दायित्वों का निर्वहन आदि, बशर्ते कि ऐसे साझाकरण को विनियमों के निषेध को टालने या रोकने के लिए न किया गया हो।

(जैसा कि निष्पक्ष प्रकटीकरण और आचारण संहिता में परिभाषित किया गया है)।

ण. "प्रमोटर" को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूंजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएं] विनियम, 2018 या इसके

किसी भी संशोधन के तहत इसे सौंपा गया अर्थ होगा;

त. "**विनियमन(नों)"** का अर्थ है सेबी (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 और इसमें कोई भी संशोधन।

थ. **"प्रतिभूति"** का अर्थ प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के तहत या किसी म्यूचुअल फंड की यूनिटों को छोड़कर किसी भी संशोधन के तहत सौंपा गया अर्थ होगा; गेल के मामले में, प्रतिभूतियों का अर्थ स्टॉक एक्सचेंजों से सूचीबद्ध गेल द्वारा समय-समय पर जारी प्रतिभूतियों जैसे इक्विटी शेयर, डेरिवेटिव्स और बांड से होगा।

द. **"व्यापार"** का अर्थ है, किसी भी प्रतिभूति की सदस्यता लेने, खरीदने, बेचने, लेन-देन करने, या सदस्यता लेने, किसी भी प्रतिभूति में लेन-देन करने, सौदा करने, और प्रतिभूतियों के डेरिवेटिव में व्यापार करने और व्यापार करने के लिए सहमति देना, तथा व्यापार को उसी के अनुसार करना समझा जाएगा।

ध. **"व्यापार दिवस"** का अर्थ है
ऐसा दिवस जिस दिन मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज व्यापार के लिए खुले हैं।

न. **"ट्रेडिंग विंडो"** का अर्थ एक ट्रेडिंग अवधि है जिसमें कंपनी की प्रतिभूतियों का व्यापार किया जा सकता है।

प. **"अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना" (यूपीएसआई)** का अर्थ है

किसी कपंनी या उसकी प्रतिभूतियों से संबंधित कोई भी जानकारी, जो आम तौर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध न हो और जिसके आम तौर पर उपलब्ध होने से प्रतिभूतियों की कीमत को भौतिक रूप से प्रभावित करने की संभावना है और जिसमें सामान्य रूप से निम्नलिखित सूचना शामिल होगी लेकिन जो इन तक ही सीमित नहीं होगी:

(i) वित्तीय परिणाम
(ii) लाभांश
(iii) पूंजी संरचना में परिवर्तन
(iv) विलय, विलय हटाना, अधिग्रहण, सूची से हटाना, व्यापार का निपटान और विस्तार तथा ऐसे अन्य लेनदेन
(v) प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों में परिवर्तन

4. प्रयोज्यता

यह संहिता अंतरंग व्यापार संहिता में परिभाषित अनुसार विनिर्दिष्ट व्यक्तियों और उनके निकट रिश्तेदारों पर लागू और बाध्यकारी होगी।

5. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

5.1 यूपीएसआई को केवल 'जानने की आवश्यकता' के आधार पर साझा किया जाएगा:

(i) वैध उद्देश्य के अनुसरण में अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति को संहिता के उद्देश्य के लिए अंतरंग व्यक्ति माना जाएगा।
(ii) ऐसे व्यक्ति को ई-मेल / पत्र के माध्यम से अग्रिम सूचना दी जाएगी (जिसमें समाचार-पत्र में विज्ञापन / स्टॉक एक्सचेंजों को सूचना देना शामिल होगा) ताकि ऐसी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना को रखते हुए गोपनीयता को बनाए रखा रखा जा सके।
(iii) ऐसे व्यक्ति को समय-समय पर संशोधित अनुसार और संहिता के लिए सेबी (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
(i) अंतरंग व्यापार विनियमों के निषेध के लिए आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ढांचे का का हिस्सा होगी।

5.2 अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचवना का प्रेषण या खरीद

(i) सभी सूचनाओं को संगठन के भीतर आवश्यकता के आधार पर इस्तेमाल किया जाएगा और अंतरंग व्यक्ति कंपनी से संबंधित या सूचीबद्ध प्रतिभूतियों या सूचीबद्धता के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों से संबंधित किसी भी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना को अंतरंग सूची सहित किसी भी व्यक्ति को प्रेषित, प्रदान या देने की अनुमति नहींदेगा, जहां ऐसे प्रेषण से वैध उद्देश्य, कर्तव्यों का निष्पादन या कानूनी दायित्वों का निर्वहन प्रभावित होता हो।

(ii) कोई व्यक्ति वैध उद्देश्यों, कर्तव्यों के निष्पादन या कानूनी दायित्वों के निर्वहन को छोड़कर, सूचीबद्ध या प्रस्तावित प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध या प्रस्तावित सूचीबद्ध प्रतिभूतियों से संबंधित अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना रखने वाले किसी भी अंतरंग व्यक्ति से सूचना नहीं खरीदेगा या उसे प्राप्त करने का कारण नहीं बनेगा।

(iii) अनुपालन अधिकारी एक ढांचागत डिजिटल डेटाबेस रखेगा जिसमें व्यक्ति या संस्था, जैसा भी मामला हो, के नाम शामिल होंगे जिसके बारे में सूचना इस संहिता के तहत स्थायी खाता संख्या (पैन) या कानून द्वारा अधिकृत किसी अन्य पहचानकर्ता के साथ साझा की जाती है, और जहां पैन उपलब्ध नहीं है, वहां पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और जांच जैसे कि समय और तारीख दर्ज करना और लेखापरीक्षा ट्रेल को बनाए रखा जाना चाहिए।

(iv) सभी विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि जिन संस्थाओं के साथ यूपीएसआई साझा किया गया है, उनका विवरण (निर्दिष्ट प्रारूप में) ढांचागत डेटाबेस रखने के लिए 2 दिनों के भीतर अनुपालन अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

5.3 अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी होने पर व्यापार करना

(i) कोई विनिर्दिष्ट व्यक्ति या तो अपनी ओर से या किसी अन्रू व्यक्ति की और से, किसी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी होने पर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर गेल की प्रतिभूतियों में व्यापार नहीं करेगा। (स्पष्टीकरण - जब किसी व्यक्ति ने प्रतिभूतियों में व्यापार किया हो और उसके पास अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी है, तो उसके व्यापकार को ऐसी जानकारी के होने और जागरूकता से प्रेरित माना जाएगा।)

(ii) यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कि उनके पास अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी नहीं थी, ऐसे अंतरंग व्यक्ति की होगी।

5.4 जानने की आवश्यकता

(i) अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी से 'जानने की आवश्यकता' के आधार पर निपटा जाना चाहिए, अर्थात् इसका प्रकटन केवल कंपनी के अंदर केवल उन्हीं व्यक्तियों को किया जाना चाहिए, जिन्हें वैध उद्देश्यों, कर्तव्यों के निष्पादन या कानूनी दायित्वों के निर्वहन में जानकारी की आवश्यकता होती है और जिनके पास ऐसी जानकारी के होने से हित प्रभावित नहीं होंगे या सूचना का दुरुपयोग नहीं होगा।

(ii) किसी भी कर्मचारी द्वारा सीधे प्राप्त सभी गैर-सार्वजनिक सूचना को तुरंत विभाग के प्रमुख को सूचित किया जाना चाहिए।

5.5 गोपनीय जानकारी तक सीमित पहुंच

गोपनीय जानकारी वाली फाइलों को सुरक्षित रखा जाएगा। कंप्यूटर फाइलों में लॉग इन और पासवर्ड आदि की पर्याप्त सुरक्षा

होनी चाहिए।

5.6 गोपनीयता समझौते का प्रकट न करना:

अंतरंग व्यक्ति जो यूपीएसआई को साझा कर रहा है, यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी तीसरी पार्टी भी गैर-गोपनीयता या गोपनीयता समझौतों और बाध्यताओं से बंधी हो, जिसमें यदि कोई व्यक्ति अंतरंग व्यापार संहिता के उल्लंघन में ऐसे यूपीएसआई का दुरुपयोग करता है तो ऐसे यूपीएसआई और इससे संबद्ध दायित्व के संबंध में ऐसे व्यक्ति के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का उल्लेख होगा।

6. ट्रेडिंग विंडो

6.1 कोई भी विनिर्दिष्ट व्यक्ति, नीचे उल्लिखित अवधि के दौरान, जब "ट्रेडिंग विंडो" बंद रहेगी, गेल की प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री से संबंधित किसी भी लेन-देन में, या तो अपने नाम पर या अपने निकट संबंधियों के नाम पर सौदा नहीं करेगा:

क्र.सं.	**विवरण**	प्रतिबंधात्मक **अवधि**
(क)	वित्तीय परिणामों की घोषणा (त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक)	बोर्ड की बैठक की तारीख तक एक सप्ताह या जैसा अधिसूचित किया जाए। *स्पष्टीकरण: ट्रेडिंग विंडो "मूल्य संवेदनशील जानकारी" के बाद 2 दिन (48 घंटे) तक खुली रहेगी, जिसके लिए ट्रेडिंग विंडो बंद है, स्टॉक एक्सचेंजों के लिए सूचना के दिन को छोड़कर, आमतौर पर उपलब्ध है।*
(ख)	लाभांश की घोषणा/ सिफारिश (अंतरिम और अंतिम)	-वही-
(ग)	सार्वजनिक/अधिकारों / बोनस आदि के माध्यम से प्रतिभूतियों का निर्गम	-वही-
(घ)	कोई भी प्रमुख विस्तार योजना या नई परियोजनाओं का निष्पादन	-वही-
(ड.)	समामेलन, विलय, अधिग्रहण और खरीदना	-वही-

6.2 उपर्युक्त खंड 6.1 के तहत उल्लिखित दिनों के अलावा वर्ष के शेष दिनों को **"वैध ट्रेडिंग विंडो"** कहा जाएगा।

6.3 सभी विनिर्दिष्ट व्यक्ति केवल "वैध ट्रेडिंग विंडो" अवधि में कंपनी की प्रतिभूतियों में अपना लेन-देन करेंगे, जैसा कि खंड 6.2 में उल्लिखित है और पिछले लेनदेन के बाद अगले छह महीने तक गेल की प्रतिभूतियों में **"कॉन्ट्रा ट्रेड"** अर्थात् विपरीत या रिवर्स लेनदेन नहीं करेंगे।

6.4 यदि कोई कंट्रा ट्रेड ऐसे किसी प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए अनजाने में या अन्यथा किया जाता है, तो ऐसे ट्रेड से होने वाले लाभ को सेबी द्वारा प्रशासित निवेशक सुरक्षा और शिक्षा निधि में क्रेडिट करके लौटाया जाएगा। तथापि, यह प्रतिबंध अनुमोदित व्यापार योजना के अनुसार किए गए ट्रेडों पर लागू नहीं होगी।

6.5 अनुपालन अधिकारी ऐसे प्रतिबंध के सख्त अनुपालन से छूट प्रदान कर सकता है जिसके कारणों को लिखित में दर्ज किया जाएगा बशर्ते कि ऐसी छूट से इन नियमों का उल्लंघन न होता हो। यदि ऐसे प्रतिबंध के उल्लंघन के मामले में, अनजाने में या अन्यथा, कंट्रा ट्रेड किया जाता है तो ऐसे व्यापार से प्राप्त लाभ को अधिनियम के तहत बोर्ड द्वारा प्रशासित निवेशक सुरक्षा और शिक्षा निधि में क्रेडिट करके बोर्ड को लौटाना होगा।

6.6 अनुपालन अधिकारी “क्लोज्ड ट्रेडिंग विंडो” की अवधि का एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें वह ट्रेडिंग विंडो के बंद होने और खुलने की तारीख और ट्रेडिंग विंडो बंद करने के उद्देश्य को दर्ज करेगा। ट्रेडिंग विंडो को बंद करने की अवधि के रजिस्टर का प्रोफार्मा

प्रपत्र-I में दिया गया है।

7. व्यापार योजनाएं

7.1 अंतरंग व्यक्ति व्यापार योजना तैयार करने तथा उसे अनुमोदन और सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए अनुपालन अधिकारी को प्रस्तुत करने का पात्र होगा, जिसके अनुसार व्यापार को उसकी योजना के अनुसार निर्धारित प्रारूप **प्रपत्र-II** के अनुसार किया जा सकता है।

7.2 ऐसी ट्रेडिंग योजना में:

(i) अंतरंग व्यक्ति की ओर से योजना के सार्वजनिक प्रकटीकरण से छह महीने पहले व्यापार नहीं किया जाएगा;
(ii) किसी भी वित्तीय अवधि के अंतिम दिन से पहले बीसवें ट्रेडिंग दिवस के बीच की अवधि के लिए ट्रेडिंग नहीं की जाएगी, जिसके परिणाम को प्रतिभूतियों के जारीकर्ता द्वारा ऐसे वित्तीय परिणामों के प्रकटीकरण के बाद दूसरा व्यापार दिवस घोषित किया जाएगा;
(iii) व्यापार की अवधि बारह महीने से कम नहीं होगी;
(iv) ऐसी किसी भी अवधि का दोहरापन नहीं होगा जिसके लिए कोई दूसरी व्यापार योजना पहले से ही अस्तित्व में हो;
(v) या तो किए जाने वाले व्यापार के मूल्य या व्यापार की प्रकृति के साथ-साथ प्रतिभूतियों की संख्या और अंतराल अवधि या तारीख, जब से व्यापार किया जाएगा, को निर्धारित किया जाएगा; और
(vi) बाजार के दुरुपयोग के लिए प्रतिभूतियों में व्यापार नहीं किया जाएगा।

7.3 अनुपालन अधिकारी यह मूल्यांकन करने के लिए ट्रेडिंग योजना की समीक्षा करेगा कि क्या योजना में इन विनियमों के उल्लेघन की कोई संभावना है और तुरंत ऐसी कार्रवाई करने का प्रयास करेगा, जो ऐसा मूल्यांकन करने तथा योजना के कार्यान्वयन को अनुमोदित और निगरानी करने के लिए आवश्यक हो सकती है।

7.4 एक बार अनुमोदित होने पर व्यापार योजना में कोई परिवर्तन नहीं होगा और अंतरंग व्यक्ति को इस योजना को अनिवार्य रूप से लागू करना होगा, और उसे इससे पीछे हटने या व्यापार योजना के दायरे से बाहर प्रतिभूतियों में किसी भी व्यापार को निष्पादित करने का अधिकार नहीं होगा।

बशर्ते कि व्यापार योजना का कार्यान्वयन ऐसी स्थिति में शुरू नहीं किया जाएगा यदि योजना के निर्माण के समय अंतरंग व्यक्ति के पास कोई भी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी आम तौर पर कार्यान्वयन शुरू होने के समय उपलब्ध न हो और ऐसी स्थिति में अनुपालन अधिकारी यह पुष्टि करेगा कि जब तक अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी आम तौर पर उपलब्ध नहीं हो जाती तब तक इसे स्थगित किया जाना चाहिए ताकि खंड 5.3 के उल्लंघन से बचा जा सके।

7.5 व्यापार योजना अनुमोदित होने पर, अनुपालन अधिकारी योजना को उस स्टॉक एक्सचेंज में अधिसूचित करेगा, जहां प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं।

8. व्यापार के लिए पूर्व-अनुमोदन

8.1 ऐसे विनिर्दिष्ट व्यक्ति जो कंपनी की प्रतिभूतियों में लेनदेन करने के इच्छुक हैं (किसी कैलेंडर माह में एकल लेनदेन या एक से अधिक लेनदेन जो 2000 प्रतिभूतियों की न्यूनतम समय-सीमा से अधिक हो), यहां नीचे दर्शाए गए अनुसार और लेनदेन की पूर्व प्रक्रिया के अनुसार लेनदेन की पूर्व-मंजूरी प्राप्त करेंगे। पूर्व-अनुमोदन के लिए आवेदन केवल वैध व्यापार अवधि के दौरान किया जाएगा। ट्रेडिंग विंडो बंद होने के दौरान दिए गए आवेदन अमान्य होंगे।

बशर्ते कि अनुमोदित व्यापार योजना के अनुसार निष्पादित किए गए व्यापार के लिए, पूर्व-मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

8.2 विनिर्दिष्ट व्यक्ति **प्रारूप-III** में दिए गए प्रपत्र में अनुपालन अधिकारी को पूर्व-अनुमोदन के लिए आवेदन करेंगे। आवेदन में प्रतिभूतियों की अनुमानित संख्या, जिसमें विनिर्दिष्ट कर्मचारी लेनदेन करने का इच्छुक है, ऐसे डिपॉजिटरी मोड में प्रतिभूतियों का विवरण, और ऐसा अन्य ब्यौरा दर्शाया जाएगा, जैसा कि इस संबंध में समय-समय पर अनुपालन अधिकारी द्वारा अपेक्षित होगा।

8.3 यदि एक कैलेंडर माह में प्रतिभूतियों की संख्या 2000 तक हो तो पूर्व-मंजूरी के लिए आवेदन नहीं करेगा यदि उनके पास यूपीएसआई हो भले ही वह वैध ट्रेडिंग विंडो अवधि हो।

8.4 कोई भी विनिर्दिष्ट व्यक्ति किसी भी प्रस्तावित व्यापार की पूर्व-मंजूरी के लिए आवेदन नहीं करेगा यदि उनके पास यूपीएसआई हो भले ही वह वैध ट्रेडिंग विंडो अवधि हो।

8.5 पूर्व-अनुमोदन के लिए आवेदन प्राप्त होने के तुरंत बाद, उसकी प्राप्ति की तारीख और समय को दर्ज किया जाएगा। अनुपालन अधिकारी पूर्व-अनुमोदन के आवेदनों पर कार्रवाई करेगा और यदि पूर्व-अनुमोदन संहिता के प्रावधानों के अनुसार हैं, तो अनुपालन अधिकारी, पूर्व-अनुमोदन की सूचना तुरंत आवेदन प्राप्त होने के 48 घंटों के अंदर देगा। अनुपालन अधिकारी की अनुपस्थिति में, अनुपालन अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी पूर्व-अनुमोदन देगा। अनुपालन अधिकारी **प्रारूप IV** के अनुसार गेल की प्रतिभूतियों में व्यापार करने के लिए पूर्व-अनुमोदन के रजिस्टर को बनाए रखेगा।

8.6 विनिर्दिष्ट व्यक्ति पूर्व-अनुमोदन की मंजूरी दिए जाने के सात दिनों के भीतर गेल की प्रतिभूतियों के संबंध में अपने आदेश का निष्पादन करेंगे। यदि अनुमोदन दिए जाने के बाद सात कार्य दिवसों के भीतर आदेश निष्पादित नहीं किया जाता है, तो विनिर्दिष्ट व्यक्ति नए सिरे से पूर्व-अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

8.7 अनुपालन अधिकारी को ऐसे प्रतिबंध के सख्त अनुपालन से छूट देने का अधिकार होगा, जिसके कारणों को लिखित में दर्ज किया जाएगा, बशर्ते कि ऐसी छूट से इन नियमों का उल्लंघन न होता हो।

9. प्रकटन

विनिर्दिष्ट अधिकारी को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अनुपालन अधिकारी को प्रकटीकरण करने की आवश्यकता होगी:

9.1 प्रारंभिक प्रकटीकरण:

क्र.सं.	किसके द्वारा	क्या प्रकटन किया जाना है	प्रकटन कब किया जाना है	प्रारूप
1.	प्रमोटर या प्रमोटर समूह/ निदेशक / केएमपी का सदस्य	निदेशक / केएमपी के रूप में नियुक्ति या प्रमोटर बनने की तारीख को धारित गेल की प्रतिभूतियां	ऐसी नियुक्ति या प्रमोटर बनने के सात दिनों के भीतर	**प्रारूप V** में उपलब्ध कराए गए प्रपत्र के अनुसार
2.	विनिर्दिष्ट व्यक्ति	1. निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम और पैन (या कानून द्वारा अधिकृत कोई अन्य पहचानकर्ता) का खुलासा करें: i. निकट रिश्तेदार ii. व्यक्ति, जिनके साथ विनिर्दिष्ट व्यक्ति एक भौतिक वित्तीय संबंध साझा करता है। iii. फोन, मोबाइल और सेल नंबर जो उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाते हैं।	विनिर्दिष्ट व्यक्ति बनने या किसी भी जानकारी में परिवर्तन होने के 30 दिनों के भीतर	**प्रारूप VI** में उपलब्ध कराए गए प्रपत्र के अनुसार

		2. शैक्षणिक संस्थानों के नाम जहां से विनिर्दिष्ट व्यक्ति ने स्नातक किया है। 3. पिछले नियोक्ताओं के नाम *स्पष्टीकरण - "सामग्री वित्तीय संबंध " का अर्थ एक ऐसा संबंध होगा जिसमें कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के भुगतान का प्राप्तकर्ता हो जैसे कि पिछले बारह महीनों के दौरान ऋण या उपहार प्राप्त करना, जो ऐसे भुगतानकर्ता की वार्षिक आय के कम से कम 25% के बराबर हो लेकिन इसमें ऐसा संबंध शामिल नहीं होगा जहां भुगतान किसी दबाव में किया गया हो।*		

9.2 सतत् प्रकटन

क्र.सं.	किसके द्वारा	क्या प्रकटन किया जाना है	प्रकटन कब किया जाना है	प्रारूप
1.	विनिर्दिष्ट व्यक्ति	अधिग्रहीत या निपटाई गई ऐसी प्रतिभूतियों की संख्या	यदि प्रतिभूतियों के मूल्य का लेनदेन किया गया है तो ऐसे लेनदेन के दो कार्य दिवसों के भीतर, चाहे लेनदेन किसी भी कैलेंडर तिमाहीमें एक बार में या अनेक बार में किया गया हो, और जिसका योग 10 लाख रुपए या ऐसे अन्य मूल्य, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए, से अधिक हो। स्पष्टीकरण - वृद्धिशील लेन-देन का प्रकटीकरण तब किया जाएगा जब लेनदेन के पूर्व प्रकटीकरण के बाद किया गया लेनदेन ऊपर निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाए।	**प्रारूप VII** में उपलब्ध कराए गए प्रपत्र के अनुसार
2.	स्टॉक एक्सचेंज(जों) में गेल, जहां प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध किया गया है	निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा उपर्युक्त (क्र.सं. 1) प्रकटीकरण का विवरण	प्रकटीकरण के प्राप्त होने या ऐसे प्रकटीकरण के बारे में पता चलने के दो दिनों के भीतर।	
3.	विनिर्दिष्ट व्यक्ति	1. निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम और पैन (या कानून द्वारा अधिकृत कोई अन्य पहचानकर्ता) का खुलासा करें: i. निकट रिश्तेदार	वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर। उनके अंतिम प्रकटीकरण की	

		ii. व्यक्ति, जिनके साथ विनिर्दिष्ट व्यक्ति एक भौतिक वित्तीय संबंध साझा करता है। iii. फोन, मोबाइल और सेल नंबर जो उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाते हैं।	तुलना में जब भी ऐसे परिवर्तन से 30 दिनों के भीतर सूचना में परिवर्तन होता है।	

अनुपालन अधिकारी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या कर्मचारी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज, जहां प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं, को प्रकटीकरण प्राप्त होने या ऐसी जानकारी से अवगत होने के दो दिन के भीतर ऐसे व्यापार के विवरण को अधिसूचित किया जाएगा।

9.3 अन्य संबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रकटीकरण

गेल को अपने विवेक पर किसी भी अन्य संबद्ध व्यक्ति या संबद्ध व्यक्ति की आवश्यकता हो सकती है ताकि गेल की प्रतिभूतियों में धारिता और ट्रेडिंग के प्रपत्र (**प्रारूप VIII**) के अनुसार और ऐसे अंतराल पर जैसा गेल द्वारा इस संहिता के अनुपालन की निगरानी के लिए निर्धारित किया जाए, प्रकटीकरण हो सके।

10. व्हिसल ब्लोअर नीति

कोई भी गेल कर्मचारी कंपनी की व्हिसल ब्लोअर नीति के अनुसरण में यूपीएसआई के लीक होने के किसी भी मामले की रिपोर्ट कर सकता है। व्हिसल ब्लोअर नीति को कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

11.0 अनुपालन अधिकारी के कर्तव्य

अनुपालन अधिकारी निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगा:

(i) नीतियों, प्रक्रियाओं का अनुपालन, अभिलेखों का रख-रखाव, यूपीएसआई के संरक्षण के लिए नियमों के अनुपालन की निगरानी, ट्रेडों की निगरानी और गेल के निदेशक मंडल के समग्र पर्यवेक्षण के तहत इन विनियमों में निर्दिष्ट कोडों का कार्यान्वयन।

(ii) वित्तीय वर्ष के अंत में अध्यक्ष, लेखा-परीक्षा समिति और बोर्ड के अध्यक्ष को निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करना
- विंडो क्लोजर अवधि;
- व्यापार योजना;
- पूर्व-अनुमोदन के लिए आवेदन;
- स्टॉक एक्सचेंज का प्रकटीकरण;

(iii) 5 वर्षों की अवधि के लिए इस संहिता के तहत किए गए खुलासों के रिकार्ड का रखरखाव।

12. आचरण संहिता के उल्लंघन के लिए दंड

12.1 कोई भी विनिर्दिष्ट व्यक्ति जो गेल की प्रतिभूतियों में ट्रेड करता है या अंतरंग व्यापार संहिता के उल्लंघन में किसी भी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी का प्रेषण करता है, तो उसे दंडित किया जा सकता है और उस पर कर्मचारी (आचरण, अनुशासन और अपील) नियम, 1986 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित कार्रवाई की जा सकती है तथा यह अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन होगी, जिसमें कंपनी के सक्षम अधिकारी द्वारा आचार संहिता में निर्दिष्ट अनुसार वेतन रोकना, निलंबन, वसूली, कर लगाकर वसूली करना आदि शामिल है।

12.2 यदि इस संहिता के उल्लंघन में प्रतिभूतियों में व्यापार या यूपीएसआई का प्रेषण किसी विनिर्दिष्ट कर्मचारी के अलावा किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो अनुपालन अधिकारी ऐसे मामले की रिपोर्ट सेबी को उचित कार्रवाई करने के लिए कर सकता है। सेबी को रिपोर्टिंग संविदा का उल्लंघन करने की शर्तों / करार के अनुसार परिकल्पित कार्रवाई के अलावा होगी।

12.3 यदि कोई अंतरंग व्यक्ति या उसका निकट संबंधी अनजाने में कंट्रा ट्रेड करता है या अन्यथा व्यापार संहिता के खंड 6 में उल्लिखित प्रतिबंध का उल्लंघन करता है, तो ऐसे व्यापार से होने वाले मुनाफे को सेबी के निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

13.0 सेबी की शक्तियां

कंपनी द्वारा की गई कार्रवाई सेबी (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 और उसमें किए गए किसी भी संशोधन के उल्लंघन के मामले में सेबी और अन्य प्राधिकारियों को कोई कार्रवाई करने से नहीं रोक सकती।

14. सेबी (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 के उल्लंघन के मामले में सेबी को सूचना देना

- सेबी (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 और उसके किसी भी संशोधन में किसी उल्लंघन की सूचना अनुपालन अधिकारी द्वारा सेबी को तुरंत दी जाएगी
- प्रत्येक विनिर्दिष्ट व्यक्ति संहिता के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा (यहां तक कि इसके प्रावधान उसके निकट संबंधियों पर भी लागू हैं)
- इस संहिता के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले खुलासे में ऐसे व्यक्ति के निकट संबंधियों द्वारा और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा व्यापार से संबंधित उन लोगों को भी शामिल किया जाएगा जिनके लिए ऐसा व्यक्ति व्यापारिक निर्णय लेता है।
- प्रतिभूतियों में व्यापार के प्रकटीकरण में प्रतिभूतियों के यौगिक में व्यापार भी शामिल होगा और इस संहिता के प्रयोजनों के लिए यौगिक के व्यापार मूल्य को भी ध्यान में रखा जाएगा।

15. संशोधन

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक उद्योग प्रथाओं के अनुसार और / या कानूनी ढांचे के नियमों में परिवर्तन और नीति में शामिल विनियमों के अनुसार अंतरंग व्यापार संहिता में संशोधन कर सकता है। गेल के बोर्ड को इस अंतरंग व्यापार संहिता के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने, किसी भी प्रावधान को नए प्रावधान से बदलने या अंतरंग व्यापार संहिता को पूरी तरह से एक नए अंतरंग व्यापार संहिता से बदलने का अधिकार होगा।

अस्वीकरण

यह केवल आंतरिक व्यापार संहिता है और यह अंतरंग व्यापार करने से बचने के उपायों में से एक है। प्रत्येक अंतरंग व्यक्ति को सेबी विनियमों या उसमें किए गए किसी संशोधन से स्वयं को परिचित करने की आवश्यकता होती है क्योंकि यह ऐसे विनिर्दिष्ट व्यक्ति (और उसके रिश्तेदारों) की जिम्मेदारी होगी कि वह इस संहिता, सेबी विनियम(मों) और अन्य लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करे। कृपया ध्यान दें कि यदि सेबी विनियम या अन्य कोई सांविधिक प्रावधान इस संहिता में निहित प्रावधानों से अधिक सख्त हैं, तो सेबी विनियम/ सांविधिक प्रावधान लागू होंगे।

गेल (इंडिया) लिमिटेड

फार्म-I

ट्रेडिंग विंडो को बंद करने की अवधि का रजिस्टर

क्र.सं.	प्रयोजन जिसके लिए ट्रेडिंग विंडो बंद की गई	ट्रेडिंग विंडो को बंद करने की प्रारंभिक तारीख	ट्रेडिंग विंडो को बंद करने की अधिसूचना की तारीख, यदि कोई हो	ट्रेडिंग विंडो को खोलने की तारीख	ट्रेडिंग विंडो को खोलने की अधिसूचना की तारीख	टिप्पणियां

<u>**गेल (इंडिया) लिमिटेड**</u>

<u>**फार्म-II**</u>

अंतरंग कर्मचारी (कर्मचारियों) द्वारा व्यापार योजना के अनुमोदन के लिए आवेदन

सेवा में
अनुपालन अधिकारी
गेल (इंडिया) लिमिटेड
16 भिकाजी कामा प्लेस
आर.के. पुरम, नई दिल्ली - 110066

प्रिय महोदय,

मैं, श्री / श्रीमती..., गेल का अंतरंग कर्मचारी नीचे दिए गए विवरण के अनुसार ....वित्तीय वर्ष के दौरान गेल की प्रतिभूतियों में लेन-देन करने का इच्छुक हूँ:

नाम	
रोजगार कोड, यदि कोई हो	
पदनाम	
विभाग	
पैन	
ई-मेल आईडी	

गेल की प्रतिभूतियों में प्रस्तावित व्यापार योजना का विवरण:

नाम	**संबंध**	**01.04....... को आदि शेष**	**व्यापार योजना का विवरण**			**31.03...... को अंतिम शेष**	**डीपी आईडी / ग्राहक आईडी या फोलियो नं.**
			दिनांक	**लेनदेन (खरीदें / बेचें)**	**मात्रा**		

वचनपत्र

मैं समझता हूं कि उपर्युक्त व्यापारिक योजना का सार्वजनिक प्रकटन गेल द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को अधिसूचना करके किया जाएगा। मैं आगे घोषणा करता हूं:

1. प्रस्तुत की गई व्यापार योजना अपरिवर्तनीय है और मैं योजना को इसका विचलन किए बिना या व्यापार योजना के दायरे से बाहर प्रतिभूतियों में किसी भी व्यापार को निष्पादित किए बिना अनिवार्य रूप से कार्यान्वित करूंगा।
2. मुझे योजना के सार्वजनिक प्रकटीकरण के छह महीने से पहले व्यापार शुरू नहीं करूंगा;
3. मैं किसी भी वित्तीय अवधि के अंतिम दिन से पहले बीसवें व्यापार दिन के बीच की अवधि में व्यापार नहीं करूंगा, जिसके परिणाम की घोषणा गेल द्वारा की जाएगी और दूसरा व्यापार दिवस ऐसे वित्तीय परिणामों के प्रकटीकरण के बाद होगा;
4. मैं किसी भी अवधि को नहीं दोहराऊंगा जिसके लिए अन्य व्यापार योजना पहले से ही कार्यान्वित हो;
5. मैं बाजार के दुरुपयोग के लिए प्रतिभूतियों में व्यापार नहीं करूंगा।
6. यदि योजना के निर्माण के समय मेरे पास कोई अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना है और जो कार्यान्वयन के शुरू होने के समय आम जनता को उपलब्ध नहीं थी तो व्यापार योजना शुरू नहीं की जाएगी।

दिनांक: हस्ताक्षर:

स्थान:

गेल (इंडिया) लिमिटेड

फार्म-।।।

प्रतिभूतियों में व्यापार के पूर्व-अनुमोदन के लिए आवेदन

सेवा में,

अनुपालन अधिकारी
गेल (इंडिया) लिमिटेड
16 भिकाजी कामा प्लेस
आर के पुरम नई दिल्ली - 110066

प्रिय महोदय,

मैं, श्री / श्रीमती..., गेल का कर्मचारी नीचे दिए गए विवरण के अनुसार गेल की प्रतिभूतियों में लेन-देन करने का इच्छुक हूं:

नाम	
कर्मचारी सं.	
पदनाम	
विभाग	
पैन	
ई-मेल आईडी	

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	संबंध की प्रकृति	आवेदन की तारीख को धारित प्रतिभूतियों	फोलियो नं. /डीपी आईडी और ग्राहक आईडी	लेनदेन की प्रकृति (खरीद / बिक्री)	अनुमानित प्रतिभूतियों की संख्या	अनुमानित विचारार्थ मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8

वचनपत्र

इस संबंध में, मैं पूरी तरह से पुष्टि करता हूं और घोषणा करता हूं:

क) कि वचनपत्र पर हस्ताक्षर के समय मेरे पास कोई भी "अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना" नहीं है और/या प्राप्त नहीं की है;

ख) कि यदि हस्ताक्षर करने के बाद या लेनदेन के निष्पादन से पहले मेरी "अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी" तक पहुँच हो जाती है या प्राप्त हो जाती है, तो मैं अनुपालन अधिकारी को ऐसे "अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी" के बारे में सूचित करूँगा और जब तक ऐसी जानकारी सार्वजनिक नहीं हो जाती, तब तक मैं पूरी तरह से गेल की प्रतिभूतियों के लेनदेन से दूर रहूँगा;

ग) कि मैंने समय-समय पर गेल द्वारा अधिसूचित अंतरंग व्यापार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है।

घ) कि मैं लेन-देन की तारीख से छह महीने की न्यूनतम अवधि के लिए कोई भी कंट्रा ट्रेड नहीं करूंगा, जिसके लिए पूर्व-मंजूरी ली गई है।

मैं एतद्द्वारा पूरी निष्ठा से घोषणा करता हूं कि मैंने अपनी जानकारी और विश्वास के अनुसार पूर्ण और सही खुलासा किया है

कृपया गेल की अंतरंग व्यापार संहिता के खंड 8 के संदर्भ में पूर्व-मंजूरी दी जाए।

हस्ताक्षर :
दिनांक :
स्थान :

कार्यालय के प्रयोग के लिए

आवेदन प्राप्त करने की तारीख और समय :

पूर्व-अनुमोदन या अन्यथा को सूचित करने तारीख और समय :

पूर्व-मंजूरी न देने का कारण, यदि कोई हो :

अनुपालन अधिकारी / प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर

गेल (इंडिया) लिमिटेड

फार्म-IV

सुरक्षा में व्यापार के लिए पूर्व-अनुमोदन का रजिस्टर

क्र.सं.	नाम	पदनाम	विभाग	पूर्व-अनुमोदन आवेदन की प्राप्ति की तारीख और समय	उस व्यक्ति का नाम, जिसके नाम पर लेन-देन किया जा रहा है	संबंध
1	2	3	4	5	6	7

लेन-देन की प्रकृति (खरीद या बिक्री)	प्रतिभूतियों की अनुमानित संख्या	अनुमानित विचार	अनुपालन अधिकारी द्वारा अनुमोदन सूचित करने की तारीख	अनुमोदन प्राप्त न करने के कारण, यदि कोई हों	वास्तव में व्यापर की गई प्रतिभूतियों की संख्या यदि सूचित की जाती है
8	9	10	11	12	13

गेल (इंडिया) लिमिटेड

गेल (इंडिया) लिमिटेड

फार्म-V

निदेशक / केएमपी /प्रोमोटर बनने पर प्रारंभिक प्रकटन

कंपनी का नाम: गेल (इंडिया) लिमिटेड
कंपनी का ISIN: INE129A01019

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) या निदेशक की नियुक्ति पर या किसी सूचीबद्ध कंपनी का प्रमोटर बनने और विनियमन 6 (2) में उल्लिखित अन्य व्यक्तियों के रूप में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का विवरण

नाम, पैन, सीआईएन/ डीआईएन और संपर्क नम्बर सहित पता	व्यक्ति (प्रमोटर / केएमपी / निदेशक / अन्य आदि के सापेक्ष निकटतम रिश्तेदार) की श्रेणी	निदेशक / केएमपी की नियुक्ति या प्रमोटर बनने की तारीख	प्रमोटर बनने / निदेशक / केएमपी की नियुक्ति के समय धारित प्रतिभूतियां		शेयरधारिता का %
			सुरक्षा का प्रकार (उदाहरण के लिए - शेयर, वारंट, परिवर्तनीय डिबेंचर आदि)	संख्या	
1	2	3	4	5	6

टिप्पणी: *"प्रतिभूति" का अर्थ सेबी के विनियमन 2(1)(i) (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 के तहत परिभाषित अनुसार होगा।*

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) या निदेशक की नियुक्ति या किसी सूचीबद्ध कंपनी का प्रमोटर बनने और विनियम 6(2) में उल्लिखित अनुसार ऐसे अन्य व्यक्तियों के रूप में धारित कंपनी के अन्य स्रोतों में स्पष्ट हित (ओआई) का विवरण

प्रोमोटर बनने / निदेशक / केएमपी की नियुक्ति के समय धारित भावी संपर्कों के स्पष्ट हित			प्रोमोटर बनने / निदेशक / केएमपी की नियुक्ति के समय धारित विकल्प संविदाओं के स्पष्ट हित		
अनुबंध विनिर्देश	**यूनिटों की संख्या (अनुबंध लॉट आकार)**	**रुपए के संदर्भ में मूल्यगत मूल्य**	**अनुबंध विनिर्देश**	**यूनिटों की संख्या (अनुबंध लॉट आकार)**	**रुपए के संदर्भ में मूल्यगत मूल्य**
7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**

टिप्पणी: *विकल्पों के मामले में, मूल्यगत मूल्य की गणना प्रीमियम तथा विकल्पों के निर्धारित मूल्य के आधार पर की जाएगी*

नाम:

हस्ताक्षर:

पदनाम:

दिनांक:

स्थान:

गेल (इंडिया) लिमिटेड

फार्म VI

विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा प्रकटन के लिए प्रारूप

1. सतत् प्रकटीकरण (किसी भी परिवर्तन की तारीख से 30 दिनों के भीतर या वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 30 दिनों के भीतर)

नाम	संबंध	पैन या कानून द्वारा अधिकृत कोई अन्य पहचानकर्ता	फोन, मोबाइल नं.
क. स्वयं के लिए प्रकटीकरण			
1	2	3	4
ख. निकटतम रिश्तेदार/व्यक्ति के लिए घोषणा, जिसके साथ विनिर्दिष्ट व्यक्ति एक भौतिक वित्तीय संबंध साझा करता है			
1	2	3	4

2. विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा एक-बारगी प्रकटन

शैक्षिक संस्थान जहां से विनिर्दिष्ट व्यक्ति ने स्नातक किया है	
पिछले नियोक्ताओं का नाम और पता	

विनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम:

हस्ताक्षर:

दिनांक:

स्थान:

टिप्पणी: "भौतिक वित्तीय संबंध" शब्दों का अर्थ ऐसा संबंध होगा जिसमें कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के भुगतान का प्राप्तकर्ता होता है जैसे तुरंत पिछले बारह महीनों के दौरान ऋण या उपहार लेकर, जो ऐसे भुगतानकर्ता की वार्षिक आय कम से कम 25% के बराबर हो, लेकिन इसमें वे संबंध शामिल नहीं होंगे, जहां भुगतान किसी दबाव के अंतर्गत न किया गया हो (इसका अर्थ है कि ऐसा लेन-देन, जिसमें दो संबंधित पक्षों के बीच लेन-देन होता है जो इस तरह से होता है जैसे वे एक-दूसरे से संबंधित नहीं थे, ताकि दो संबंधित पक्षों के बीच हितों का कोई टकराव न हो।

प्रारूप- VII

सतत् प्रकटन

सेबी (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 [विनियमन 7(2) विनियमन 6(2) के साथ पठित]

कंपनी का नाम: गेल (इंडिया) लिमिटेड

कंपनी का ISIN: INE129A01019

प्रोमोटर, कर्मचारी या किसी सूचीबद्ध कंपनी का निदेशक और विनियमन 6(2) में उल्लिखित ऐसे अन्य व्यक्तियों द्वारा धारित प्रतिभूतियों में परिवर्तन का विवरण

नाम, पैन नंबर, सीआईएन / डीआईएन, और संपर्क नंबर सहित पता	व्यक्ति की श्रेणी (प्रमोटर / केएमपी / निदेशक / निकटतम रिश्तेदार / अन्य आदि))	अधिग्रहण / निपटान से पहले धारित प्रतिभूतियां		अधिग्रहण की गईं / निपटान की गई प्रतिभूतियां				अधिग्रहण / निपटान के बाद धारित प्रतिभूतियां		आवंटन एडवाइस / शेयरों के अधिग्रहण / शेयरों की बिक्री की तारीख निर्दिष्ट करें		कंपनी को सूचित करने की तारीख	अधिग्रहण / निपटान की पद्धति (बाजार / सार्वजनिक / अधिकार / अधिमान्य प्रस्ताव / बंद बाजार / परस्पर हस्तांतरण, ईएसओपी आदि)
		सुरक्षा का प्रकार (उदाहरण के लिए - शेयर, वारंट, परिवर्तनीय डिबेंचर आदि)	संख्या तथा % शेयर धारिता	सुरक्षा का प्रकार (उदाहरण के लिए - शेयर, वारंट, परिवर्तनीय डिबेंचर आदि)	सं.	मूल्य	लेन-देन का प्रकार (खरीदना/ बेचना/ प्रतिज्ञा/ वापस लेना/ आहवान)	सुरक्षा का प्रकार (उदाहरण के लिए - शेयर, वारंट, परिवर्तनीय डिबेंचर आदि)	संख्या तथा % शेयरधारिता	से	तक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

टिप्पणी: "प्रतिभूति" का अर्थ सेबी के विनियमन 2(1)(i) (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 के तहत परिभाषित अनुसार होगा।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) या निदेशक की नियुक्ति या किसी सूचीबद्ध् कंपनी का प्रमोटर बनने और विनियम 6(2) में उल्लिखित अनुसार ऐसे अन्य व्यक्तियों के रूप में धारित कंपनी के अन्य स्रोतों में स्पष्ट हित (ओआई) का विवरण

डेरिवेटिव में व्यापार (अनुबंध का प्रकार, भविष्य या विकल्प आदि का उल्लेख करें)						विनिमय जिस तारीख को व्यापार किया गया
अनुबंध का प्रकार	अनुबंध विनिर्दिष्टियां	खरीदा		बेचा		
		अनुमानित मूल्य	यूनिटों की संख्या (अनुबंध * लॉट का आकार)	अनुमानित मूल्य	यूनिटों की संख्या (अनुबंध * लॉट का आकार)	
15	16	17	18	19	20	21

टिप्पणी: विकल्पों के मामले में, अनुमानित मूल्य की गणना प्रीमियम तथा निर्धारित मूल्य के आधार पर की जाएगी।

नाम:

हस्ताक्षर:

कर्मचारी संख्या।:

पदनाम:

दिनांक:

स्थान:

<u>प्रारूप- VIII</u>

कंपनी द्वारा पहचान किए गए अन्य संबद्ध व्यक्तियों द्वारा लेन-देन

कंपनी द्वारा पहचान किए गए अन्य संबद्ध व्यक्तियों का नाम, पैन, सीआईएन/ डीआईएन और संपर्क नम्बर सहित पता	कंपनी के साथ संबंध	अधिग्रहण / निपटान से पहले धारित प्रतिभूतियां		अधिग्रहण की गईं / निपटान की गई प्रतिभूतियां				अधिग्रहण / निपटान के बाद धारित प्रतिभूतियां		आवंटन एडवाइस / शेयरों के अधिग्रहण / शेयरों की बिक्री की तारीख		कंपनी को सूचित करने की तारीख	अधिग्रहण / निपटान की पद्धति (बाजार / सार्वजनिक / अधिकार / अधिमान्य प्रस्ताव / बंद बाजार / परस्पर हस्तांतरण, ईएसओपी आदि)
		सुरक्षा का प्रकार (उदाहरण के लिए - शेयर, वारंट, परिवर्तनीय डिबेंचर आदि)	संख्या तथा % शेयरधारिता	सुरक्षा का प्रकार (उदाहरण के लिए - शेयर, वारंट, परिवर्तनीय डिबेंचर आदि)	सं.	मूल्य	लेन-देन का प्रकार (खरीदना/ बेचना/ प्रतिज्ञा/ वापस लेना/ आह्वान)	सुरक्षा का प्रकार (उदाहरण के लिए - शेयर, वारंट, परिवर्तनीय डिबेंचर आदि)	संख्या तथा % शेयर धारिता	से	तक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

जारी...

प्रारूप VIII (जारी...)

कंपनी द्वारा पहचान किए गए अन्य संबद्ध व्यक्तियों द्वारा लेन-देन का विवरण

डेरिवेटिव में व्यापार (अनुबंध, वायदा या विकल्प, आदि का विनिर्दिष्ट प्रकार)						लेन-देन जिस पर व्यापार किया गया
अनुबंध का प्रकार	अनुबंध विनिर्देश	खरीद		बिक्री		
		यूनिटों की संख्या (अनुबंध * लॉट आकार)	यूनिटों की संख्या (अनुबंध * लॉट आकार)	यूनिटों की संख्या (अनुबंध * लॉट आकार)	यूनिटों की संख्या (अनुबंध * लॉट आकार)	
15	16	17	18	19	20	21

टिप्पणी: विकल्पों के मामले में, अनुमानित मूल्य की गणना प्रीमियम तथा निर्धारित मूल्य के आधार पर की जाएगी।

नाम:

हस्ताक्षर:

दिनांक:

स्थान: